भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **784**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पर्णीय छिड़काव के उपयोग को बढ़ावा देना

784. कुमारी सुधा आर.:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से जैव-उर्वरकों और उर्वरकों के पर्णीय छिड़काव (ड्रोन द्वारा) को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने सभी पात्र किसानों को जैव-उर्वरकों और उर्वरकों के पर्णीय छिड़काव (ड्रोन द्वारा उपयोग) उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक बजट का अनुमान लगाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने सीमांत किसानों द्वारा जैव-उर्वरकों और उर्वरकों के पर्णीय छिड़काव की व्यवहार्यता और सामर्थ्य के बारे में कोई अध्ययन किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार 2015-16 से देश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्कीमें अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) लागू कर रही है। इन स्कीमों के तहत किसानों को आर्गेनिक आदानों का प्रयोग करते हुए आर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ये स्कीमें किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात आर्गेनिक उत्पाद के उत्पादन से लेकर विपणन तक की सहायता प्रदान करती हैं। आर्गेनिक उर्वरकों के ऑन-फार्म उत्पादन और इसके उपयोग के बारे में किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना इन स्कीमों का अभिन्न अंग है। किसानों को वहनीय कीमतों पर जैव उर्वरकों और आर्गेनिक खाद सहित विभिन्न आर्गेनिक आदानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमों/कार्यक्रमों को कवर करने वाली गोबरधन पहल के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) का अनुमोदन किया है, जिसका कुल परिव्यय ₹1,451.84 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि शामिल है। इससे किसानों को उचित मूल्यों पर आर्गेनिक उर्वरकों नामत: किण्वित आर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल एफओएम और फॉस्फेट समृद्ध आर्गेनिक खाद (पीआरओएम) प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी स्कीम शुरू की है। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के माध्यम से एसएचजी की नमो ड्रोन दीदी को 1,094 का वितरण सुनिश्चित किया है। उर्वरक विपणन कंपनियां ड्रोन दीदी के लिए विपणन योजना बनाने में शामिल हैं। 15 नवंबर, 2023 को प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाय) के दौरान, विभिन्न फसलों पर नैनो और पानी में घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव के लिए 1.79 लाख ड्रोन अनुप्रयोग के प्रदर्शन किए गए।

(ङ.) और (च): जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईसीएआर ने विभिन्न फसलों और मृदा प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों के उन्नत और कुशल प्रकार विकसित किए हैं। उच्चतर शेल्फ लाइफ के साथ तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने विभिन्न प्रकार के जैव-उर्वरक/जैव-समृद्ध आर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इनको प्रदर्शन, किसान जागरूकता अभियानों और केवीके के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईसीएआर जैव-उर्वरकों के लाभों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

****